

प्रेषक,

डा. आर.सी. श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 1991

नगर विकास अनुभाग—७

विषय : नेहरू रोजगार योजना के लिये अलग से खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या 1050ए/9-7-21 एन.आर.वाई./91 दिनांक 11.7.91 एवं 1122/ए/9-7-एनआरवाई./91 दिनोंक 30.7.91 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नेहरू रोजगार योजना के संचालन हेतु पृथक से खाता खोले जाने एवं इस खाते का संचालन संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं परगनाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कराये जाने का अनुरोध किया गया था। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ जनपदों के स्थानीय निकायों में इस योजना हेतु पृथक से खाता नहीं खोला गया है।

2. अतः इस विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के सफल संचालन हेतु पृथक खाता खोलकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर.सी. श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या ए/9-7-91-19 एन.आर.वाई./91 टी.सी./तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर.सी. श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।